

न्यायालय सहायक कलक्टर (न्यायालय) कोटा

पीठारीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

संख्या : 87/22

RRCMS Id : 202604147900029

आराजी पुत्र गंगाराम जाति बंजार निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

- (वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार सरकार जयें तहसीलदार, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा।

- (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.04.2026

- 1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।
- 2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि -
 - ~ वादी ग्राम जगपुरा, तहसील लाड़पुरा में निवास करता है, आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 89 में से 0.24 हैक्टर, भूमि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित है। उक्त भूमि पर वादी काफी समय से पत्थर की कोट कर काबिज काश्त है।
 - ~ उक्त आराजी पर वादी के पिता भी काबिज काश्त चले आ रहे थे, वादी ने उक्त भूमि पर बिजली भी लगा रखी है और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। तहसीलदार साटब द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 एवं सम्पत्ति धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी किये गये थे, उक्त भूमि पर तावान की राशि भी समय-समय पर वादी जमा करता चला आ रहा है।
 - ~ वादी द्वारा उक्त भूमि को वादी के नाम आवंटन किये जाने बाबत आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे, जिसमें उक्त भूमि यू0आई0टी को हस्तान्तरित होने से पूर्व वादी के नाम आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है, काबिज काश्त होने के कारण प्रार्थी को आवंटन सूची में आवंटन नहीं किया गया है, इसके पश्चात् उक्त भूमि वर्ष 2014 में नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज हो चुकी है, इसलिये प्रतिवादी क्रम-2 नगर विकास न्यास को बनाया गया है।
 - ~ प्रतिवादी क्रम-2 नगर विकास न्यास, वादी को बेदखल करने पर उतारू है। वादी उक्त भूमि पर काफी वर्षों से काबिज काश्त है और उक्त भूमि से ही अपने परिवार का पालन पोषकण करता चला आ रहा है, उक्त भूमि के अलावा वादी के पास कोई भूमि नहीं है और उक्त भूमि को वादी ने काबिज काश्त बनाने में काफी समय व पैसा भी उक्त आराजी को उपजाउ करने के लिये खर्च किया गया है और उक्त भूमि पर वादी के द्वारा पेड़ व पौधे भी लगाये गये हैं, जो वादी के परिवार के जीविकोपार्जन का साधन हैं, इसके साथ ही वादी ने उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी लगाया गया है।
 - ~ अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 4 रकबा 89 में से 0.24 हैक्टर भूमि को वादी के कब्जे-काश्त के आधार पर आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे और यू0आई0टी0 को पाबंद करे कि वह उक्त भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल नहीं करे और जो भी न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।
 - ~ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पेश निम्न दस्तावेज पेश किये गये -
 - ① : जमाबंदी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा।
 - ② : तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा जारी किये गये 91 के नोटिस

③ : जुर्माने की रशीदे।

प्रतिवादी क्रम-1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जो संयुक्त रूप से निम्नानुसार है-

- ~ वादी द्वारा प्रस्तुत आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 89 हैक्टर में से रकबा 0.24 हैक्टर ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-76 खाता संख्या 208 से खातेदार नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है, वादी द्वारा वर्तमान उक्त खसरा नम्बर पर कोई काश्त नहीं की जाती है।
 - ~ वादी को कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार नहीं दिये जा सकते वादी द्वारा वाद पेश करने के पूर्व प्रतिवादी क्रम-2 को नियमानुसार 98 यूआईटी एक्स का नोटिस नहीं दिया, इस कारण वाद निरस्त योग्य है।
 - ~ वादी का स्टेटस बतौर अतिक्रमी है, जो भूमि पर कब्जा बनाये रखने का अधिकारी नहीं है व धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत काबिल बेदखली है, अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सब्यय खारिज फरमाया जावे।
- 4- प्रकरण वादपत्र एवं जवाब दावे के विवेचन के आधार पर आज निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये :-
1. आया वादी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 28 रकबा 0.24 हैक्टर आराजी पर कब्जे-काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
-वादी
 2. वादी का वाद धारा 98 यूआईटी0 का नोटिस के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।
-प्रतिवादी क्रम-2

3. अनुतोष?

- 5- प्रकरण बहस अंतिम में आने पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी, वादी अभिभाषक द्वारा लिखित बहस के कथनों को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया गया-
- ~ वादी ग्राम जगपुरा, तहसील लाड़पुरा में निवास करता है, आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 89 में से 0.24 हैक्टर, भूमि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित है। उक्त भूमि पर वादी काफी समय से पत्थर की कोट कर काबिज काश्त है।
 - ~ उक्त आराजी पर वादी के पिता भी काबिज काश्त चले आ रहे थे, वादी ने उक्त भूमि पर बिजली भी लगा रखी है और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। तहसीलदार साहब द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 एवं सपटित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी किये गये थे और उक्त भूमि पर तावान की राशि भी समय-समय पर वादी जमा करता चला आ रहा है।
 - ~ वादी द्वारा उक्त भूमि को वादी के नाम आवंटन किये जाने बाबत आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे, जिसमें वादी ने उक्त भूमि यू0आई0टी को हस्तान्तरित होने से पूर्व वादी के नाम आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है, काबिज काश्त होने के कारण प्रार्थी को आवंटन सूची में आवंटन नहीं किया गया है, इसके पश्चात् उक्त भूमि वर्ष 2014 में नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज हो चुकी है, इसलिये प्रतिवादी क्रम-2 नगर विकास न्यास को बनाया गया है।
 - ~ प्रतिवादी क्रम-2 नगर विकास न्यास, वादी को बेदखल करने पर उतारू है। वादी उक्त भूमि पर काफी वर्षों से काबिज काश्त है और उक्त भूमि से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है, उक्त भूमि के अलावा वादी के पास कोई भूमि नहीं है और उक्त भूमि को वादी ने काबिज काश्त बनाने में काफी समय व पैसा भी उक्त आराजी को उपजाऊ करने के लिये खर्च किया गया है और उक्त भूमि पर वादी के द्वारा पेड़ व पौधे भी लगाये गये हैं, जो वादी के परिवार के जीविकोपार्जन का साधन हैं, इसके साथ ही वादी ने उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी लगाया गया है।
 - ~ वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात भी न्यायालय में प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि वादी विगत 50 वर्षों से भी अधिक से काबिज काश्त है, परिपत्र दिनांक 01.09.1962 में भी उल्लेख किया है और इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप'6 क्रम-6, राज्य जयपुर दिनांक 11.01.2008 को एक परिपत्र जारी हुआ जिसमें उपखण्ड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त हुए कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट व सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बर्शाते की वह भूमिहीन है तथा समस्त भूमि उसके अतिक्रमण में है,

नियमों में दी गई सीमा से अधिक न हो। भूमिहीन व्यक्ति द्वारा राजस्वीय कृषि में किये गये अतिक्रमणों के मामले में शर्तों को भी उल्लेखित किया गया है और उक्त राजस्व प्रपत्र में जिन भूमियों को सरकार द्वारा नियमित नहीं किया जा सकता, उसका भी उल्लेख किया है, जबकि वादी उक्त भूमि के नियमन के लिये पात्रता रखता है। इसके संदर्भ में समय-समय पर रेवेन्यू बोर्ड व राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी निर्णय पारित किये गये हैं और न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि लम्बे समय से काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता और बिना विधिक प्रक्रिया के काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं कर सकते।

अतः वाद लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 4 रकबा 89 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर भूमि को वादी के कब्जे-काशत के आधार पर आवंटन किये जाने हेतु निर्दिष्ट करने की कृपा करे और यू0आई0टी0 को पाबंद करे कि वह उक्त भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया के बेदखल नहीं करे और जो भी न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जाये।

प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है -

1. आया वादी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 4 रकबा 89 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर आराजी पर कब्जे-काशत के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब्दुल रहमान प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

2. वादी का वाद धारा 98 यू0आई0टी0 के नोटिस के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम-2 पर था।

धारा 98 यू0आई0टी0 एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि-किसी अधिकारी या सेवक के निर्देशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि ट्रस्ट के मामले में लिखित नोटिस उसके कार्यालय में और किसी अन्य मामले में, मुकदमा किए जाने वाले व्यक्ति के कार्यालय या निवास स्थान पर स्पष्ट रूप से दिए जाने या छोड़े जाने के बाद दो महीने की अवधि समाप्त न हो जाए। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से वाद का कारण, मांगी गई राहत की प्रकृति, दावा की गई क्षतिपूर्ति की राशि और वादी का नाम और निवास स्थान बताया जाना चाहिए, और वादपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि ऐसा नोटिस दिया गया है या छोड़ा गया है। यह तनकी प्रतिवादी क्रम-2 के पक्ष में तय की जाती है।

3. अनुतोष?

वादी द्वारा अपने लम्बे कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
6- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

➤ ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 89 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर पर अपने 50 वर्षों के कब्जे के आधार पर वादी द्वारा उक्त आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का तथा किसी अन्य को आवंटित नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत केवल खातेदार ही अनुतोष की प्राप्ति के लिये प्रार्थना कर सकता है। वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं है जिससे वह, प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति का अधिकारी भी नहीं है।

➤ वादी द्वारा विवादित आराजी लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं।

➤ वादी की ओर से कब्जे के आधार पर आराजी के आवंटन हेतु की गई कार्यवाही का भी उल्लेख किया है। आवंटन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है।

➤ इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार

पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

- एडवर्स पजेशन यानि प्रतिकूल कब्जा, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी और की जमीन पर कब्जा करके उसका स्वामित्व हासिल कर सकता है बशर्ते उसका मालिक उस पर कोई आपत्ति पेश नहीं करे।
- विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी ध्यान रखा जाना समीचीन होगा -

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (लक्ष्मी बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।
 - अतः तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 के जारी किये गये नोटिस एवं जुर्माने की रशीदों को आधार मानकर वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के प्रतिकूल-कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
- 7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/4/26
(श्री. गणेश मुकुन्द मखेंकर
सहायक न्यायाधीश
(मुख्यालय), कोटा)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

बान :-

पिताजी पुत्र गंगाराम जाति बंजार निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा।

- (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार सरकार जयें तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

- (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88,89,92A,188 RTA

मुकदमा नम्बर : 87A / 22

GCMS id : 2022 / 164

निर्णय दिनांक : 30-04-2026

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक राजेन्द्र कुमार वर्मा की उपस्थिति में वादपत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30-04-2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कँवर, आर.ए.एस. के समक्ष पर, प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मात्र तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 के जारी किये गये नोटिस व नुमासि की रशीदों का आधार मानकर वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। कृषि आरक्षण पर लम्बी अवधि के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 30 अप्रैल 2026 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2.	अर्जी के लिये स्टाम्प
3.	अदर्शा के लिये स्टाम्प	3.	प्लीडर के लिये फीस
4.	रूपये पर प्लीडर की फीस	4.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	5.	आदेशिका की तामिल
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	6.	कमिश्नर की फीस
जोड़		जोड़	